



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2018/भाद्र 27, 1940

No. 356]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018/BHADRA 27, 1940

अनुलग्नक - ए

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

सं. डीई-87(2)-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 05 सितंबर, 2017 के भाग III खंड 4 में प्रकाशित मूल भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:-

(i) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. मूल "भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017" के विनियम 7(2) के अंतर्गत परन्तुक की तीसरी पंक्ति में "सुदूर और/या दुर्गम क्षेत्रों" शब्दों को "सुदूर और/या दुर्गम या ग्रामीण क्षेत्रों" से और चौथी पंक्ति में "सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों" शब्दों को "सुदूर, दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./232/18]

फुट नोट : मूल विनियम, नामतः "भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017" का प्रकाशन अधिसूचना दिनांकित 5 सितंबर, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III—खंड 4 में हुआ था, एवं अधिसूचना दिनांकित 15.03.2018 के माध्यम से संशोधन किया गया था।

ANNEXURE-A

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2018

No. DE-87(2)-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the Principle Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 05th September, 2017 namely:—

1. Short title and Commencement:-
 - (i) These Regulations may be called the Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course (2nd Amendment) Regulations, 2018.
 - (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. The words “remote and/or difficult areas” shall be substituted with “remote and/or difficult or rural areas” in third line and the words “remote and difficult areas” shall be substituted with “remote, difficult and rural areas” in fourth line of the proviso under Regulations 7(2) of the Principle “Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017”.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./232/18]

Foot Note : The Principle Regulation namely, “Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017” was published in Part III, Section (4) of the Gazette of India *vide* Notification dated the 5th September, 2017 and amended *vide* notification dated 15.03.2018.